

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 4963 /22-2, मुरादाबाद, मार्च- 01 2016  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार0 लि0 मेरठ द्वारा ग्राम चांदपुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर की खसरा संख्या-2230 मि0 बदायूँ-बिजनौर प्रान्तीय मार्ग संख्या-51 कि0मी0 174 आर0एच0एस0 में 0.0775 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रवेश मार्ग में बाधक 01 आम के वृक्ष के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग बिजनौर की पत्र संख्या-2769 /14-1,  
दिनांक 25-02-2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार0 लि0 मेरठ द्वारा ग्राम चांदपुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर की खसरा संख्या-2230 मि0 बदायूँ-बिजनौर प्रान्तीय मार्ग संख्या-51 कि0मी0 174 आर0एच0एस0 में 0.0775 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रवेश मार्ग में बाधक 01 आम के वृक्ष के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसको वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत परीक्षण कर वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग बिजनौर द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।  
संलग्नक - 3 प्रतियों में।

भवदीय,



(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- /22-2, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :-प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग बिजनौर को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार0 लि0 मेरठ को सूचनाथ प्रेषित।

(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।